निविदा फार्म का मूल्य रू0–7000/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

ट्रैफिक लाईट निविदा सूचना पत्र।

1. निविदा दाता का नाम :–...पुत्र श्री ....
2. पता :–..
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नामः–..
4. जमात धनराशि :– रू0 .... (शब्दों में) ....
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0–...
6. बैंक का नाम :–...
7. ट्रैफिक सिग्नल के चिन्हित स्थल :– (1) सैन्ट ज्यूड चौक (2) जी0एम0एस0 एक्सटेंशन शिमला बाईपास (3) कारगी चौक हरिद्वार बाई पास (4) धर्मपुर चौक (5) द्वारिका स्टोर, (6) सहस्त्रधारा क्रासिंग चौक (7) तहसील चौक (8) दर्शन लाल चौक (9) बल्लूपुर चौक (10) कौलागढ़ चौक (11) यमुना कालोनी चौक (12) बसन्त बिहार एफ0आर0आई0 चौक चकराता रोड (13) बुद्धापार्क चौक।
8. कुल ट्रैफिक सिग्नलों की संख्या– 13 ट्रैफिक सिग्नल।
9. निविदा राशि अंकों में :–.. (शब्दों में) ....

निविदादाता के हस्ताक्षर :–..

निविदादाता का नाम :–...

निविदादाता का पूरा पताः– ....

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति का दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31.03.2018 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–7,05,284/–प्रतिवर्ष निर्धारित है।
3. विज्ञापन एजेन्सी/फर्म द्वारा अपने व्यय पर निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र पूर्ण करना होगा।
4. यातायात एवं जन सुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

5. निविदादाता को नियमानुसार सरकारी देय स्टॉम्प ड्यूटी, आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इत्यादि को निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदा स्वीकृति की धनराशि पर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
7. ट्रैफिक लाईटों का सुचारू रूप से रख–रखाव व मरम्मत आदि कार्य निविदादाता को स्वंय के व्यय पर करना होगा।
8. ट्रैफिक लाईट के रख–रखाव हेतु फर्म को अपने स्तर से एक इलैक्ट्रिक इन्जीनियर की तैनाती करनी अनिवार्य होगी।
9. किसी भी चौक का ट्रैफिक सिग्नल खराब–होने की दशा में यातायात पुलिस द्वारा फर्म को सूचना दिये जाने के उपरान्त 3 घन्टे के अन्दर उक्त सिंग्नल को ठीक कराना अनिवार्य होगा।
10. प्रत्येक ट्रैफिक लाईट सिग्नल पर सुचारू रूप से कन्ट्रोल पैनल, सोलर बैकअप, काउन्टडाऊन टाईमर तथा बैटरी की निरन्तर जांच करनी होगी।
11. प्रत्येक वर्ष ट्रैफिक सिग्नल के पोल पर रंगाई पुताई स्वंय के व्यय पर करानी होगी तथा पोल जंग रहित व मजबूत होना चाहिये।
12. जमानत की धनराशि नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज करनी होगी।
13. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंकों में लिखे जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
14. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत 15 दिन के अन्दर व 25 प्रतिशत दिनांक 30 जून एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि वित्तीय वर्ष की माह सितम्बर के अन्त तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि के अन्दर धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।
16. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।
17. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।
18. निविदा के साथ रू0–70,528/– धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
19. ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन हेतु 3.5 X 2.5 क्योस्क ही लगाया जायेगा।
20. ट्रैफिक सिग्नल चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर ट्रैफिक सिग्नल नही लगाये जायेंगे।
21. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है तो रू0–25000/– की दर से प्रति ट्रैफिक लाईट अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
22. ट्रैफिक सिग्नल पर बिजली के कनेक्शन के व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर अलग से मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
24. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
25. निविदादाता द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2018 तक ट्रैफिक सिग्नल सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किये जाने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।
26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

27. ट्रैफिक सिग्नल सड़क से 90 डिग्री के कोण पर होंगे तथा यातायात के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।
28. ट्रैफिक सिग्नल पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित फर्म द्वारा केवल ट्रैफिक सिग्नल पर ही विज्ञापन प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य माध्यमों से विज्ञापन प्रचार–प्रसार हेतु नगर निगम द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी।
29. उपरोक्त ट्रैफिक पर रख–रखाव हेतु लगे व्यक्तियों श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा, तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वंय करनी होगी।
30. कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी।
31. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।